आवंटन
अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–451500198010135

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर।

संख्याः 1/शा0/1788/2013–1/352/2013 लखनऊः दिनांक 01 मार्च, 2013

विषयः वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत) में प्रदेश के गैर बी0आर0जी0ए0 05 जनपदों में बहुउददेशीय पंचायत भवन/भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण हेतु धनराशि रू0–187.50 लाख का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–441/33–3–2013–100(1)/2013 दिनांक 22 फरवरी, 2013 द्वारा अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राविधानित धनराशि ₹ 188.00 लाख के सापेक्ष ₹ 187.50 लाख **(₹ एक करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न सूची में जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित (कालम संख्या–14) धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2012–13 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं0– बी–1–1515/दस–2012–231/2012 दिनांक 09.07.2012 एवं इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगें। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे।

4– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या– 14 (आयोजनागत) लेखाशीर्षक "4515– अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0101–प्रदेश के गैर बी0आर0जी0एफ0 जनपदों में बहुउददेशीय पंचायत भवन/भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण (के.75/रा.25–रा.) –35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद" के नामें डाला जायगा।

6– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 2–9–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

7– आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर निदेशालय को दिनांक 15 मार्च, 2013 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

8– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

9– किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

10– धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2012–13 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 20–03–2013 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– 21 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(सौरभ बाबू)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्याः1/शा0/ 1708/1/2013 उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
2– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4– जिलाधिकारी, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबृद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर।
5– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबृद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर।
6– सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7– मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी,, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर तथा मुजफ्फरनगर।
8– जिला पंचायत राज अधिकारी(मु0), पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
9– तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(राम देव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Order Report

वित्तीय वर्ष:-2012-2013

आवंटन दिनांक-04/03/2013

प्रेषण दिनांक:-04/03/2013

प्रेषण संख्या:- 44

आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-shaa-1788-2013-1-2013-352-2013

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2012-2013 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत)

198 - ग्राम पंचायतों को सहायता

01 - केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

01 - प्रदेश के गैर बी0आर0जी0एफ0 जनपदों में बुठद्देशीय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मुज़फ्फर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7750000 7750000	7750000 7750000
2	बुलन्द्शहर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3500000 3500000	3500000 3500000
3	गाजियाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3500000 3500000	3500000 3500000
4	गौतमबुद्ध नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1250000 1250000	1250000 1250000
5	बागपत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2750000 2750000	2750000 2750000
	योग	वर्तमान प्रगामी	18750000 18750000	18750000 18750000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

रामदेव सिंह